



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट में 02 अभियुक्त को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 104/2015 धारा- 354क,323 भा0द0सं0 व 8 पॉक्सो एक्ट व 3(1)11 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.धीरेन्द्र पुत्र मदनमोहन 2.अरुण पुत्र परमेश्वरी दयाल निवासीगण मवई थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20,000 अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
अवधनरेश सिंह चन्देल



विवेचक-
सीओ सीताराम
क्षेत्राधिकारी राठ



पैरोकार- थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव